21/7/23

पत्रावली प्रवृद्ध। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील अभियोजन। वकील प्रार्थी के विरुद्ध 26/12/22 से शेष अभियोजन की तलबी हेतु समय दिया जा रहा है। बावजूद इसकी आज भी कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। इन्हें SP/राज्य के कार्यालय पर भी अवसर प्रदान किया गया। बावजूद नोटिस उपस्थित नहीं किए जाने से अभियुक्त वकील प्रार्थी को बार-बार मौका देकर न्यायालय समय समीक्षा एवं बार-बार मौका देकर आगामी लगाई गई। अन्यथा वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं हुए। अतः वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में पारित किया जाता है। पत्रावली सत्यापन से ~~पत्रावली~~ बाद विचार जैसा मुनासिब हो का सवाल पैदा हो।

निर्णय आज दिनांक 21/7/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manish